भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *418 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 28 मार्च, 2025/7 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है

पोत पंजीकरण प्रक्रिया

***418. श्री राजेश रंजन :**

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोत पंजीकरण प्रक्रिया और उससे संबंधित नियमों की जटिलता के कारण देश में कई पोत परिवहन कंपनियां पंजीकरण नहीं करा पाती हैं जिसके कारण राजस्व और रोजगार के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा पोत पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुकर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पंजीकरण के लिए डिजिटल प्रक्रिया और एकल खिड़की प्रणाली शुरू की गई है/शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

“पोत पंजीकरण प्रक्रिया" के संबंध में श्री राजेश रंजन द्वारा पूछे गए दिनांक 28.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *418 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): जी, नहीं। भारत में पोत पंजीकरण प्रक्रिया वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अनुरूप है। यह प्रक्रिया सरल है और इसे वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के भाग V के तहत वाणिज्य पोतों के पंजीकरण के साथ दक्षतापूर्वक लागू किया गया है जिसे पोतों पर कार्विंग और मार्किंग के भौतिक सत्यापन के अध्यधीन आवेदन प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर किया जाता है।

*****